Received by hand on
08/08/17 at 01:10 PM

सेवा मे, दिनांक : 08.08.2017

माननीय जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, एम0एस0ओ0 बिल्डिंग,
आई0पी0 स्टेट, नई दिल्ली 110002

9630
डायरी संख्या........
दिनांक 08/08/17

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन।

मान्यवर,

निवेदन है कि आवेदक निम्नलिखित सूचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाऐ। जो इस प्रकार है :-

(क). जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों को आपराधिक अभियाग के आरोप मे विभागीय जांच के उपरान्त, विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका था और ऐसे पुलिस कर्मी/अधिकारी जिस आपराधिक अभियोग के आरोप मे विभाग द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गऐ थे, अदालत द्वारा बरी किये जा चुके है, के सन्दर्भ मे निम्नलिखित सूचना दी जाऐं:-

1. यह है कि ऐसे सभी दोषमुक्त पुलिस कर्मी/अधिकारी जिनको उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate किया गया है, पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख एवम् आपराधिक अभियोग की प्रर्कति सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणिल सूची उपलब्ध कराई जाऐ।
2. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मी/अधिकारी, जिनको, उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नही किया गया है, पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, reinstate की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रर्कति एवम् बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने का कारण व इसके सन्दर्भ मे नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाऐ।
3. यह है कि ऐसे दोषमुक्त पुलिस कर्मी/अधिकारी जिनको उनकी बर्खास्तगी की तारीख से reinstate नही किया गया है लेकिन पुनः सेवा मे ले लिया गया है। पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, बर्खास्तगी की तारीख, पुनः सेवा मे लेने की तारीख, आपराधिक अभियोग की प्रर्कति एवम् बर्खास्तगी की तारीख से reinstate न किये जाने तथा पुनः सेवा मे लिऐ जाने का कारण व इसके सन्दर्भ मे नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाऐ।

(ख). यह है कि जिन पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोग अदालत मे विचाराधीन है और ऐसे पुलिस कर्मी/अधिकारी विभाग मे सेवारत हैं। पद, नाम, पी0आई0एस0 न0., तैनाती, आपराधिक अभियोग की तारीख एवम् धारा/प्रर्कति तथा सेवारत रहने का कारण व इसके सन्दर्भ मे नियम/अधिनियम सहित पिछले दस वर्ष की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जाऐ।

(ग). यह है कि विभाग मे तैनाात पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/जॉच चिकित्सक द्वारा कराया जाता हैं, जिसमे पुलिस कर्मी ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध मे विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आर्डर जारी किया है तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें।

(घ). यह है कि विभाग मे अधिनस्त कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत चिकित्सा बिलों का सत्यापन/जॉच विभाग द्वारा कराया जाता हैं, जिसमे पुलिस कर्मी ने उपचार कराया था। यदि इस सम्बन्ध मे विभाग अथवा CGHS विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन/आर्डर जारी किया है, तो पिछले दस वर्ष की तक की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जायें

(निरन्तर अग्रिम पृष्ट पर)